न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 274/2024
दायर दिनांक :– 09.05.2024

अनवान

मोहनलाल मीणा पिता अर्जुन राम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक :– 24.06.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया भु.अ. क्षेत्र कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में खाता.न. 463 में आ.न. 1369, 43, 516, 518, 523, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, कुल किता 14 रकबा 6. 1431 हैक्टेयर व खाता.न. 527 में आ.न. 527 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में खातेदार मोहनलाल पिता उरज्या तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जिसमे प्रार्थी मोहनलाल पिता उरज्या की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम मीणा दर्ज करवाना चाहता है।

ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया भु.अ. क्षेत्र कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में खाता.न. 463 व 540 कुल किता 02 खाता खातेदार पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी खातेदार मोहनलाल पिता उरज्या के नाम दर्ज है। मोहनलाल पिता उरज्या उक्त वर्णित कृषि भूमी पर अबाध्य रुप से अपनें हिस्सें पर कब्जा कास्त होकर अबाध्य रुप से लगातार कास्त करवाता आ रहां हैं। प्रार्थी के नाम विरासत से खाता रदोबदल के समय मोहनलाल पिता अर्जुन राम मीणा की बजाय मोहनलाल पिता उरज्या कर दिया जो कि राजस्व अधिकारीयो ने बिना विधीक जानकारी कियें मोहनलाल पिता उरज्या नाम सें खाता खोला गया जो विधिक भूल रही जब की प्रार्थी के पिता के समस्त सरकारी दस्तावेंज जेंसें पाठशाला प्रवेश रजिस्टर की प्रति, मतदाता सूची की प्रति, नामान्तरण सं. 134 ग्राम पंचायत कुराडिया की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियॉ इत्यादी में सही नाम मोहनलाल पिता अर्जुनराम मीणा है। राजस्व रेकार्ड मे मोहनलाल पिता उरज्या मीणा कें नाम से खाता खोला गया जिससे प्रार्थी के पिता कों सरकार से प्राप्त किसान सहायता योंजना व अन्य मदद से वंचित रहना पड़ता है।

प्रार्थी पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी पर कृषि ऋण वास्तें बैंक से सर्म्पक किया तों राजस्व रेकार्ड मे मोहनलाल पिता उरज्या नाम होंने व जबकी पहचान हेतु समस्त सरकारी दस्तावेजों में जेंसे पाठशाला प्रवेश रजिस्टर की प्रति, मतदाता सूची की प्रति, नामान्तरण सं. 134 ग्राम पंचायत कुराडिया की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियॉ इत्यादी में मोहनलाल पिता

Scanned with CamScanner

अर्जुनराम मीणा होने से बैंक नें कृषि भूमी पर कृषि ऋण देने से मना कर दिया जिससें वादीया कारण उत्पन होकर जारी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व किसी प्रकार दाद अनुतोष नही चाहा हैं। केवल प्रार्थी का नाम मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम जाति मीणा करवाना चाहता है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम मोहनलाल पिता उरज्या के नाम से खाता खोला गया जिसें प्रार्थी मोहनलाल पिता उरज्या मीणा के बजाय पिता अर्जुन राम मीणा दर्ज करवाना चाहता है। अतः राजस्व रेकार्ड में मोहनलाल पिता उरज्या मीणा के बजाय पिता अर्जुन राम मीणा दर्ज कियें जाने की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के पत्रांक/राजस्व/2024/1039 दिनाक 18.06.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है, जिसमें प्रार्थी के नाम के दस्तावेज पाठशाला प्रवेश रजिस्टर की प्रति, मतदाता सूची की प्रति, नामान्तरण सं. 134 ग्राम पंचायत कुराडिया की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियॉ में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पिता अर्जुन राम मीणा होना बताया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम जाति मीणा किया जाना उचित बताया गया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम मीणा नाम में शुद्धि कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम मीणा दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया भु.अ. क्षेत्र कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में खाता.न. 463 में आ.न. 1369, 43, 516, 518, 523, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, कुल किता 14 रकबा 6.1431 हैक्टेयर व खाता.न. 527 में आ.न. 527 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में खातेदार मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम जाति मीणा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/06/24

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024 / 274 / 2024 दिनांक 24.06.2024

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– मु.न. 274 / 2024 अनवान मोहनलाल मीणा पिता अर्जुन राम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया भु. अ. क्षेत्र कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में खाता.न. 463 में आ.न. 1369, 43, 516, 518, 523, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, कुल किता 14 रकबा 6.1431 हैक्टेयर व खाता.न. 527 में आ.न. 527 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में खातेदार मोहनलाल पिता उरज्या मीणा की बजाय मोहनलाल पिता अर्जुन राम जाति मीणा दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

24/06/24

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner